



WOMEN CRIME CONTROL

RIGHTS ★ PROTECTION ★ JUSTICE

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT GOVT. OF INDIA

Regd. Under ITA 1882, (GOVERNMENT OF INDIA)

NITI AAYOG (GOVERNMENT OF INDIA)

आपके सवाल (FAQs)

1. महिला अपराध नियंत्रण क्या है ?

महिला अपराध नियंत्रण एक राष्ट्रीय (नेशनल) संस्था है जो महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा व न्याय के लिए कार्य करती है।

2. महिला अपराध नियंत्रण क्या करती है ?

महिला अपराध नियंत्रण समाज व महिलाओं को, उनके अधिकारों व कानूनों के बारे में जागरूक करती है।

3. महिला अपराध नियंत्रण महिलाओं की मदद कैसे करती है ?

महिला अपराध नियंत्रण महिलाओं के क्या कानून है और क्या कार्यवाही होनी चाहिए इसके बारे में बताती है और कहां पर कैसे शिकायत दर्ज करवाएं इसके लिए भी मार्गदर्शन करती है। प्रशासन के बीच ताल-मेल स्थापित कर महिलाओं की शिकायत के निवारण के लिए प्रयास करती है।

4. महिला अपराध नियंत्रण का कार्यालय का पता क्या है ?

महिला अपराध नियंत्रण -कार्यालय का पता आनंद विहार, दिल्ली-110092 है।

5. महिला अपराध नियंत्रण कहां से रजिस्टर है ?

भारत सरकार (नीति आयोग), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(आई.टी.ए) 1882 भारत सरकार रजिस्ट्रेशन नंबर 625/2024 द्वारा
रजिस्टर्ड (**नेशनल**) ऑर्गेनाइजेशन है।

6. महिला अपराध नियंत्रण का संपर्क सूत्र, वेबसाइट व ई-मेल आई-डी क्या है ?

महिला अपराध नियंत्रण का संपर्क सूत्र- 9911551521
ई-मेल आईडी- womencrimecontrol@gmail.com
वेबसाइट - www.womencrimecontrol.com

7. महिला अपराध नियंत्रण को कौन ज्वाइन कर सकता है ?

महिला अपराध नियंत्रण को भारत का कोई भी नागरिक ज्वाइन कर सकता है
जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो और उस व्यक्ति के खिलाफ
कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज ना हो।

8. महिला अपराध नियंत्रण ज्वाइन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है ?

महिला अपराध नियंत्रण को ज्वाइन करने के लिए आधार -कार्ड व पासपोर्ट
साइज फोटो की आवश्यकता होती है।

9. महिला अपराध नियंत्रण को जोइनिंग शुल्क कितनी है ?

महिला अपराध नियंत्रण में जोइनिंग व मेंबरशिप निःशुल्क है केवल लागत शुल्क लागू किया जाता है।

10. महिला अपराध नियंत्रण को फंडिंग कहां से मिलती है ?

महिला अपराध नियंत्रण किसी भी रूप से किसी भी सरकारी प्राइवेट या विदेशी साधनों द्वारा फंडिंग नहीं लेती है और ना ही कभी भविष्य में लेगी।

11. महिला अपराध नियंत्रण देश भर में अपनी शाखाएं क्यों नहीं खोलती है?

भविष्य में इस बारे में जरूर हम सोचेंगे। महिला अपराध नियंत्रण किसी प्रकार के डोनेशन से नहीं चलती है और ना ही कोई इनकम सोर्स है इसलिए हम जितनी मदद कर सकते हैं वह हम दिल्ली से ही कर रहे हैं।

12. महिला अपराध नियंत्रण डोनेशन क्यों नहीं लेती है ?

महिला अपराध नियंत्रण डोनेशन इसलिए नहीं लेती है क्योंकि हमें इस कार्य में डोनेशन की आवश्यकता नहीं होती है।

13. क्या महिला अपराध नियंत्रण मदद करने के लिए पैसे लेती है ?

महिला अपराध नियंत्रण किसी भी कानूनी सहायता या परामर्श के लिए कोई शुल्क नहीं लेती है

14. महिला अपराध नियंत्रण में शिकायत कैसे दर्ज कराएं ?

महिला अपराध नियंत्रण में शिकायत दर्ज कराने के लिए संस्था के वेब-पोर्टल www.womencrimecontrol.com पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, हमारे द्वारा 3 दिन के भीतर आपकी समस्या का जवाब दिया जाता है और आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है

15. महिला अपराध नियंत्रण को देशभर में कैसा रिस्पांस मिल रहा है ?

महिला अपराध नियंत्रण को पूरे भारत देश से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है साथ ही लोग चाहते हैं कि महिला अपराध नियंत्रण के सदस्य व अधिकारी पूरे देश में होने चाहिए ताकि महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं को कम किया जा सके।

16. महिला अपराध नियंत्रण में ज्वाइन किसी सदस्य अधिकारी द्वारा संस्था के कार्ड या पहचान का गलत इस्तेमाल किए जाने पर क्या कार्यवाही की जाती है ?

महिला अपराध नियंत्रण के कार्ड या नाम का गलत इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाती है, जिसमें उसका कार्ड व उपलब्ध कराया गया सभी सामान सेंडर कराया जाता है और उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कराई जाती है व संस्था द्वारा सदैव के लिए निष्कासित कर दिया जाता है।

17. महिला अपराध नियंत्रण को जॉइन करने पर आईडी कार्ड व किट कितने दिन में और कैसे मिलती है?

जोड़निंग के बाद 25-35 दिनों में आईडी व किट कूरियर के द्वारा आपको वर्तमान पते पर प्राप्त हो जाती है।

18. महिला अपराध नियंत्रण को ज्वाइन करने के बाद क्या क्या मिलता है ?

महिला अपराध नियंत्रण को ज्वाइन करने वाली महिलाओं को उनके अधिकारों व कानूनों का ऑन-लाइन प्रशिक्षण द्वारा आधारभूत ज्ञान कराया जाता है इसके साथ ही उन्हें आई-डी कार्ड, जागरूकता पंपलेट, स्टीकर इत्यादि सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है।

19. महिला अपराध नियंत्रण को अगर कोई फेक, स्कैमर या नकली धांधली इत्यादि जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं इस पर आपकी क्या टिप्पणी है?

महिला अपराध नियंत्रण एक रजिस्टर्ड नेशनल संस्था है, जो आवश्यक दस्तावेज एक संस्था के पास होने चाहिए वह सभी हमारे पास है और वह सभी जानकारी हमारे द्वारा सार्वजनिक की जाती है। महिला अपराध नियंत्रण नई संस्था होने के कारण लोग अभी इसके बारे में नहीं जानते हैं इसलिए ऐसे वाक्य बोलना स्वभाविक है। आज हमारे देश में कई फर्जी (एन.जी.ओ) खोलकर लोग धोखा-धड़ी कर जाते हैं, जिसके कारण लोग संस्थाओं को इस नजरिए से देखने पर मजबूर हो जाते हैं। हमारे देश का संविधान सभी को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी देता है इसलिए कोई भी अपने विचार रख सकता है।

20. महिला अपराध नियंत्रण मेंबरशिप शुल्क क्यों नहीं लेती हैं ?

हमारे देश में महिला अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि समाज में अधिकारों व कानूनों को लेकर जागरूकता की कमी है। महिलाएं जब भी क्रूरता/अपराध के खिलाफ आवाज उठाती हैं तब उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास उनके अधिकारों व कानून की पूरी जानकारी नहीं होती है, इसलिए वे अकेली पड़ जाती हैं। महिलाएं कई संस्थाओं के साथ जुड़ना भी चाहती हैं परंतु उनके पास मेंबरशिप या सदस्यता लेने के लिए इतने पैसे नहीं होते हैं।

महिला अपराध नियंत्रण संपूर्ण भारत में सभी महिलाओं को आमंत्रित करती है कि आप सभी महिला अपराध नियंत्रण ज्वाइन करें, हमारे द्वारा आपको कानूनों व अधिकारों का आधारभूत ज्ञान दिया जाता है, साथ ही मुफ्त कानूनी सलाह और मार्गदर्शन भी दिया जाता है। अतः जागरूक बने व संगठित होकर अपराध के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर महिला क्रूरता को बड़े स्तर पर रोकना है तो सभी को एकजुट होकर इस दिशा में कार्य करना होगा, तभी महिलाओं के लिए एक सकारात्मक और सुरक्षित समाज की स्थापना की जा सकेगी।

21. प्रशासनिक शुल्क क्या हैं ?

एक प्रशासनिक शुल्क वह शुल्क है जो रिकॉर्ड रखने और/या अतिरिक्त प्रशासनिक लागतों से संबंधित खर्चों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार एजेंसी द्वारा लिया जाता है। कुछ अलग-अलग खर्चों इस प्रकार हैं:-

- जागरूकता स्टिकर पैम्फलेट के लिए
- जागरूकता किट के लिए
- कूरियर शुल्क - किट पार्सल करने के लिए
- कानून प्रशिक्षण के लिए
- अन्य सेवाएं व प्रशासनिक लागत

जय हिंद !



+91-9911551521

जय हिंद !

संपूर्ण भारत में हमसे जुड़ने के लिए अपना और शहर का नाम व्हाट्सएप करें

Website : www.womencrimecontrol.com

E-mail : womencrimecontrol@gmail.com